छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ दल्याण सिंह भवन, रायपुर
(संशोधित अधिसूचना)

रायपुर, दिनांक 18/08/2010

क्रमांक एफ 20–4/2009/11/(6) :– राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 20–4/2009/11/(6), दिनांक 10 नवंबर, 2009 द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 2009 से औद्योगिक नीति 2009–14 लागू की है, जिसकी कंडिका–10.08 में उद्योगों को सशर्त औद्योगिक नीति 2004–09 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी लिया है। अतएव औद्योगिक नीति 2004–09 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु छूट/रियायतें के संबंध में जारी अधिसूचनाओं में संशोधित अधिसूचना के कॉलम–4 में संशोधन में दर्शाये अनुसार अतिरिक्त कंडिकायें संशोधित अधिसूचना क्रमांक 2 एवं 3 अनुसार निम्नानुसार दिनांक 01 नवंबर, 2009 से प्रभावशील की जाती है:–

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	नियम	संशोधन
1.	एफ 20–95/2004/11/(6) दिनांक 21.06.2005	छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2004	नियम के बिन्दु क्रमांक–3, पात्रता में अतिरिक्त कंडिका–(7) के पश्चात् कंडिका–(8)
2.	एफ 20–95/2004/11/(6) दिनांक 21.06.2005	छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान नियम–2004	नियम के बिन्दु क्रमांक–4, पात्रता में अतिरिक्त कंडिका–(9) के पश्चात् कंडिका–(10)
3.	एफ 20–95/2004/11/(6) दिनांक 21.06.2005	छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम–2004	नियम के बिन्दु क्रमांक–5, कंडिका–(10) के पश्चात् कंडिका–(11)
4.	एफ 20–95/2004/11/(6) दिनांक 21.06.2005	छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकीय प्रोन्नति ब्याज अनुदान नियम–2004	नियम के बिन्दु क्रमांक–5, पात्रता में कंडिका–(5.8) के पश्चात् कंडिका–(5.9)
5.	एफ 20–95/2004/11/(6) दिनांक 10.08.2005	छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम–2004	नियम के बिन्दु क्रमांक–5, पात्रता में कंडिका–(5.9) के पश्चात् अतिरिक्त कंडिका–(5.10)
6.	एफ 20–95/2004/11/(6) दिनांक 18..08.2005	छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम–2004	नियम के बिन्दु क्रमांक–4, पात्रता में कंडिका–(.16) के पश्चात् अतिरिक्त कंडिका–(4.17)

2– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2004 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम.पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो जो वैध हो, किन्तु दिनांक 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया हो, उन्हें दिनांक 31.10.2010 तक वाणिज्यिक प्रारंभ करने पर अनुदान की पात्रता होगी।

3– औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये संतुप्त श्रेणी के उद्योगों को अनुदान की पात्रता तभी होगी, यदि उन्होंने औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि (दिनांक 01.1102004 से 31.10.2009) में उद्योग स्थापित करने हेत सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम.पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो व वैध हो एवं औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ट–2(निगेटिव लिस्ट) में दर्शाये गये उद्योगों में सम्मिलित न हो तथा पात्रता रखते हो एवं दिनांक 31 अक्टूबर 2010 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया हो।

4– वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 342/सी.एन. 29973/बजट–5/वित्त /चार/2010 दिनांक 02.07.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षरित
(पि. रमेष कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 20–4/2009/11/(6) रायपुर, दिनांक 18/08/2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्य के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर
3. विशेष सहायक, समस्त मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
5. शासन के समस्त विभाग
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
7. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
8. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. पण्डरी, रायपुर
9. संयोजक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

हस्ताक्षरित
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग